दलित एक *परिचय*

डॉ0 दिनेश कुमार
अस्सिटेन्ट प्रोफेसर
स्कूल ऑफ एजुकेशन
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)

प्रस्तावना

दलित वह है जो दबाया हुआ, कुचला हुआ, अपेक्षित और वंचित, बाधित और पीड़ित व्यक्ति दलित की श्रेणी में आते हैं। इस तरह दलित शब्द के अर्न्तगत जहाँ सदियों से सामाजिक वर्ण–व्यवस्था और जातिवाद से अभिशप्त दलित शोषित, सामाजिक बन्धनों से बधे नारी और बच्चे भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन, अछूत, बधुआ, दास, गुलाम, दीन और पराश्रित–निराश्रित भी दलित ही है। दलित शब्द आक्रोश, चीख, वेदना, पीड़ा, चुभन, घुटन और छटपटाहट का प्रतीक है। दलित यानी अनुसूचित जातियाँ, बौद्धिक कष्ट उठाने वाली जनता, मजदूर, भूमिहीन गरीब किसान, खानाबदोश जातियाँ, आदिवासी आदि। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार दलित जातियों में निम्न श्रेणी के कारीगर, धोबी, मोची, भंगी, बसौर, चमार, डंगारी, सउरी, आदि आते हैं। कुछ दिनों पूर्व तक इनकी स्थिति अर्धदास बधुंआ मजदूर जैसी बनी रही। दुष्ट हिन्दुओं ने इन्हे 1952 के पूर्व तक अपराधी प्रवति की जाति बताया है। जबकि इन मूल भारतीयों की सादगी व भोलेपन के कारण हिन्दुओं ने सदा इनके साथ अन्याय कर इनकी धन सम्पत्ति, शान–शौकत, विद्या, सम्मान, कृर्षि भूमि को हमेशा हानि पहुँचाई है। सबसे पहले महाराष्ट्र में इनके लिए दलित शब्द का प्रयोग हुआ।

शूद्र वर्ण की उत्पत्ति तथा तत्सम्बन्धी विवरण

पश्चिम व भारत के सभी विद्धानों का मत है कि भारत में आर्यों के आने से पहले 3000 ई0 पूर्व यहाँ के आदिवासी द्रविणों या अनार्यों की एक बहुत ऊँची सभ्यता देश के पश्मिोत्तर भाग में विध्यमान भी। इसे ही इतिहास में सिंधु घाटी या मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता कहा गया है। द्रविड़ या द्रविण शब्द से कुछ विद्धान तमिल शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। जब आर्यो का दबाब उत्तर में बढ़ा तो द्रविण लोग दक्षिण में जाकर बस गये और वे ही आज तमिल कहलाते है। आर्य यहाँ के मूलनिवासियों को अपमानजनक नामों से पुकारते थे। अनार्यों के नायक व्रतासुर थे। इनमें कई महाबलि राजा हुए है। जिनमें निव्रद्ध, बलि, चमुरि, धुनि, प्रियु, नमचि, शंबर, मृगया, शरदासुर, शुष्ण, अर्बुद, कृष्ण, वैरोचन, मुचकुन्द, नदंक, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, तिपुर और जलंन्धर के नाम प्रमुख है। रामायण काल में शंबूक श्रृषि को तत्कालीन राजा द्वारा

बध किया गया चूंकि उसने शूद्र होते हुए भी तपस्या की थी। महाभारत काल में एकलव्य की कथा शूद्रों पर शिक्षाप्राप्ति में प्रतिबन्ध का ज्वलन्त उदाहरण है गुरू द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा न देने पर भी एकलव्य का दांया अंगुठा कटवा लेना हिन्दुओं के गुरूओं की दुष्टता का पर्दाफास करता है। मनुस्मृति में दुष्ट ब्राह्मणों द्वारा जो विधान लिखे गये उनसे शुद्ध गुलाम बनकर असहाय हो गया। उसके लिए शिक्षा का द्वारा बन्द कर दिया गया उनका धन छीन लेने का प्रावधान किया गया। उनका उत्पीड़न करना उचित माना गया।

स्वतन्त्रता के बाद अस्पृश्यता तो कम हुई परन्तु इन जातियों की उन्नति देखकर ईष्या बढ़ गई है। यद्यपि कुछ व्यक्तियों द्वारा इस बुराई को समाप्त करने का प्रयास किया गया। स्वामी विवेकानन्द ने सवर्णो को ललकारते हुए कहा था सवर्णो शूद्रों के साथ कटुता का व्यवहार छोड़ दो अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा जब बहुसंख्यक शूद्र संगठित होकर तुम्हें एक फूँक से उड़ा देगा। यही शुद्ध वे लोग है जिन्होनें तुम्हें सभ्यता सिखाई और यही तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं। देश के संविधान द्वारा दलितों की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो चुकी है। कानून के सामने सभी बराबर है दलित समाज के लोग भी आर्थिक व शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। किन्तु अभी सामाजिक क्षेत्र में पूरी बराबरी नहीं हो पायी हैं दलितों को जब तक प्रदेश की सीमाओं से बाँधकर रखा जाएगा तब तक पूर्ण विकास नहीं हो पायेगा। जिस प्रकार एक हिन्दु सभी राज्यों में नौकरी का आवेदन करता है उसी प्रकार दलित समाज के व्यक्तियों को भी भारत के किसी भी राज्य में आवेदन करने पर उसे आरक्षण का लाभ दिया जाये। साथ ही सभी केन्द्रिय व राज्य सरकार के सभी पदों पर दलित वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान की जाये क्योंकि इससे उनके आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के आधार पर ही वे सम्पत्ति, शिक्षा व अपनी खोई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकेगा। कृर्षि भूमि का 80 प्रतिशत भाग इनको देकर सामाजिक बराबरी लायी जा सकती है जिन व्यक्तियों के पास अधिक भूमि है उसको सरकारी भूमि घोषित कर इनकों प्रदान की जाये। आज इनके विकास मे एक और झटका समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद यशवीर सिंह धोबी जो नगीना, बिजनौर, उत्तरप्रदेश के जो निम्न जाति के व्यक्ति हैं। उन्होने अपनी ही जाति के साथ विश्वासघात करके संसद में आरक्षण में प्रमोशन विधेयक 2013 की प्रतियाँ फाड़ दी। जिसका परिणाम चालाक हिन्दु जाति ने उठाया यद्यपि कांग्रेस समर्थक पार्टी यदि चाहती तो उस विधेयक की अन्य प्रति के आधार पर प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जा सकता है लेकिन वह भी आधुनिक समय में इनकी उन्नति नही देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को केन्द्र में दलितों के वोटो के आधार पर पूर्ण बहुमत मिला क्योंकि उन्हें अब केन्द्र सरकार से यह उम्मीद है कि वह पुनः प्रमोशन में आरक्षण विधेयक लाकर उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। और अनेक लाभकारी योजनाए लाकर दलित समाज का विकास करे।

दलित शिक्षा

शिक्षा व्यक्ति को पूर्ण रूपेण विकसित करने हेतु प्रयोजनपूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयास है जिससे व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान को ठीक से समझकर दूसरों के विचारों तथा भावों से तादात्मय करके इष्ट जगत का वास्तविक स्वरूप स्वयं में संजोकर आदर्श मानव बन सके। आदिवासी लोगों की दृष्टि में स्कूली शिक्षा उन कारणों में से एक समझा जाता है जो बच्चों को सुधारने के स्थान पर उन्हें बिगाड़ देते है। इसी धारणा की वजह से आदिवासी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। यदि जनजाति समुदायों के लोगों के

मन में यह विश्वास जाग्रत हो जाये कि उनके बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा उनके स्वयं के लिए लाभप्रद व उपयोगी तो वे निश्चित रूप से अपने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार और प्रसार में सहयोग देगें। परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में आदिवासी लोग साक्षर तथा शिक्षित होगें। किसी भी समाज में विकास गति को शिक्षा के आधार पर ही देखा जा सकता है। आदिवासी बालिकाओं का स्कूल में दाखिला न होना अथवा बीच में ही उनके द्वारा स्कूल का छोड़ा जाना ये मुख्यतः दो कारण है परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बालिकाओं द्वारा श्रम करना और आदिवासी समुदायों में शिक्षा के प्रति अरूची होना। शिक्षार्थियों के लिए स्कूल का समय इस प्रकार से निश्चित किया जाये कि वे घर में आवश्यक काम काज भी कर सके। आदिवासी बालिकाओं को पढ़ाने के तरीको में ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिए जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो तभी उनके माता–पिता को शिक्षा उपयोगी लगेगी और आदिवासी बालिका शिक्षा का प्रचार–प्रसार तीव्र गति से हो पायेगा। जब दलित समाज का विकास होगा तभी देश का सही विकास होगा।